

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1016] No. 1016] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्रहायण 30, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/AGRAHAYANA 30, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सं. 93/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1533(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक, 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है. यथा :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 20 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ''दालें [तूर, चना या मसुर (लेंटिल्स) के अलावा]'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/368/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 92/2017-सीमा शुल्क, 14 दिसम्बर, 2017, जिसे सा.का.िन. 1515(अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

7324 GI/2017 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

No. 93 /2017-Customs

G.S.R. 1533(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, at serial number 20, for the entry in column (3) "Pulses [other than Tur, Chickpeas or Masoor (Lentils)]" shall be substituted.

[F. No. 354/368/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 92/2017-Customs, dated the 14th December, 2017, published *vide* number G.S.R. 1515(E), dated the 14th December, 2017.